संख्या-2/बी०एल०-1207/07 श्र०सं

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक-

विषय:- बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सामान्य बंधुआ मजदूर के लिए व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद के लिए ₹ 74.40 लाख (रूपये चौहत्तर लाख चालीस हजार) एवं अन्य मदो के लिए ₹ 13.10 लाख (रूपये तेरह लाख दस हजार) एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के बंधुआ मजदूरों के लिए व्यवासायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में ₹ 31.90 (रूपये एकतीस लाख नब्वे हजार) एवं अन्य मदो के लिए ₹ 5.60 लाख (रूपये पाँच लाख साठ हजार) अर्थात कुल ₹ 125.00 लाख (एक करोड़ पच्चीस लाख) मात्र के अनुमानित व्यय पर अवधि विस्तार की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि गत वर्षो की भाँति वित्तीय वर्ष 2015-2016 में केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास ₹ 20,000/- (बीस हजार) प्रति बंधुआ मजदूर की लागत पर किया जायेगा। पुनर्वास पर व्यय होने वाली राशि का वहन राज्य एवं केन्द्र सरकार 50:50 के अनुपात में करती है। इस प्रकार राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार का हिस्सा 10,000/-(दस हजार), 10,000/-(दस हजार) कुल 20,000 (बीस हजार) मात्र प्रति बंधुआ मजदूर होता है।

2. (I) सामान्य बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्यांश की राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230 श्रम तथा रोजगार- उप मुख्य शीर्ष-01- श्रम-समूह शीर्ष- राज्य मद योजना लघु शीर्ष-112- बंधुआ मजदूर का पुनर्वास- माँग सं०-26- उप शीर्ष-0101- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी० 2230011120101) राज्य योजना स्कीम कोड LAB-5233 के अन्तर्गत निम्नांकित इकाई से होगी:-

(क)	21-01	सामग्री एवं पूर्तियाँ	-	13,10,000/-
(ख)	28-01	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	-	74,40,000/-
			कुल योग-	87,50,000/-

रूपये सतासी लाख पचास हजार मात्र ।

(II) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्यांश की राशि की निकासी मुख्य शीर्ष- 2230 श्रम एवं रोजगार उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-समूह शीर्ष- राज्य मद योजना लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जाति के लिए विशेष घटक योजना- माँग सं०-26-उप शीर्ष-0102-बंधुआ मजदूर कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड- पी० 2230017890102) राज्य योजना स्कीम कोड LAB-5552 के अन्तर्गत निम्नांकित इकाई से होगी:-

(क)	21-01	सामग्री एवं पूर्तियाँ	-	5,60,000/-
(ख)	28-01	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	-	31,90,000/-
			कुल योग-	37,50,000/-

रूपये सैतींस लाख पचास हजार मात्र ।

अर्थात् कुल ₹ 125.00 लाख (रूपये एक करोड़ पच्चीस) मात्र ।

4. राज्य योजनान्तर्गत बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में नीति-निर्धारण किया गया है जिसके अन्तर्गत योजना बजट उपबंध में निम्न राशि व्यय किया जायेगा :-

(क)	बंधुआ मजदूर के पुनर्वास पर होने वाला राज्यांश की राशि	₹ 10,000X1000	बंधुआ मजदूर	= 1,00,00,000.00
(ख)	अन्य राज्यों / जिलों से बंधुआ मजदूरों के विमुक्ति के पश्चात् उन्हें घर तक पहुँचाने का अनुमानित मार्ग व्यय	₹ 500X1000	बंधुआ मजदूर	= 5,00,000.00
(ग)	विमुक्ति पश्चात बंधुआ मजदूरों का भोजन, नास्ता, वस्त्र, दवा आदि पर अनुमानित व्यय	₹ 500X1000	बंधुआ मजदूर	= 5,00,000.00
(घ)	पुनर्वास के उपरान्त 30 दिन के राशन पर अनुमानित व्यय	₹ 1,500X1000	बंधुआ मजदूर	= 15,00,000.00
				= 1,25,00,000.00

रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र ।

5. इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-2016 में 1000 बंधुआ मजदूरों के पुर्नवास पर राज्यांश की राशि सामान्य बंधुआ मजदूर के लिए रू० 87.50 लाख (रूपये सतासी लाख पचास हजार) एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति बंधुआ मजदूरों के लिए ₹ 37.50 लाख (रूपये सैतीस लाख पचास हजार) अर्थात कुल रूपये ₹ 125.00 लाख (रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख) मात्र के अनुमानित व्यय पर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

6. केन्द्रांश मद की राशि भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरांत दी जायेगी ।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प सं० 96 वि (2) दि० 03.01.08 मे प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत निर्गत किया जाता है । यह चालू योजना है। गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभागीय पत्रांक-1837 दिनांक-30.06.2014 द्वारा इस योजना की स्वीकृति दी गयी है ।

8. वित्तीय वर्ष के 2015-16 के माह जुलाई, 15 तक के चार माह के लिए लेखा अनुदान पारित किया गया है । वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि० दिनांक-24.3.15 एवं 3429/वि (2) दिनांक-1.4.15 के अन्तर्गत उपबंधित राशि का एक तिहाई व्यय किया जा सकेगा ।

9. प्रस्ताव में विभागीय माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन पृ०-93/टि० पर प्राप्त है।

10. प्रस्ताव/प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ०-93/टि० पर प्राप्त है।

11. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/ संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/ श्रमायुक्त के सचिव, पटना होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी, श्रमायुक्त, बिहार होगें ।

12. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली से संबंधित मामलों के पुनर्वास की राशि अविलम्ब विमुक्त की जायेगी ।

विश्वासभाजन
ह0/-
(अशोक कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-2/बी०एल०-1207/07 श्र०सं० 1642 पटना, दिनांक 12-5-15

प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी / संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / सभी उप श्रमायुक्त / सभी सहायक श्रमायुक्त / सभी श्रम अधीक्षक / श्रमायुक्त के सचिव / सभी कोषागार पदाधिकारी/ उप कोषागार पदाधिकारी/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-06 (श्रम पक्ष) एवं प्रशाखा-02 (सरकार पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(अशोक कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी।
15/5/15